-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.02.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा बेज़ुबान पशु के साथ मारपीट एवं क्रूरता करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर भेजा गया जेल।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.02.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा बेज़ुबान पशु के साथ मारपीट एवं क्रूरता करने वाले 02 अभियुक्तों गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 23.02.2026 को एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें 02 व्यक्तियों द्वारा एक बेज़ुबान एवं निरीह पशु के साथ मारपीट कर अमानवीय क्रूरता की जा रही थी। वीडियो को गंभीरता से लेते हुए चौकी प्रभारी अतर्रा चुंगी श्री उत्कर्ष सिंह द्वारा तत्काल टीम गठित कर व्यक्तियों की पहचान करते हुए मौके पर पहुँचकर तत्परता के साथ वैधानिक कार्यवाही करते हुए घटना कारित करने वाले दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उन्हें जिला कारागार बांदा भेज दिया गया।

➢ बांदा पुलिस यह स्पष्ट करना चाहती है कि बेज़ुबान पशुओं के प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता, मारपीट अथवा अमानवीय कृत्य को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे कृत्यों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि समाज में यह सशक्त संदेश जाए कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। बांदा पुलिस आमजन से अपील करती है कि यदि कहीं भी पशुओं के प्रति क्रूरता या किसी भी प्रकार का अपराध घटित होता है, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, जिससे समय रहते आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. महावीर पुत्र लोटन निवासी ग्राम बड़ोखर खुर्द थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. अख्तर पुत्र बाविद निवासी ग्राम बड़ोखर खुर्द थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. चौकी प्रभारी अतर्रा चुंगी श्री उत्कर्ष सिंह
2. हे0कां0 बजीर अहमद